सं. : 1:05:138:I:सीएस
दिनांक : 02.06.2026

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-**400 051**	बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-**25**, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400001**

विषय: <u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तीन पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों का नाम हटाने एवं समापन संबंधी सूचना।</u>

महोदया/महोदय,

सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत, दिनांक 01.06.2026 से प्रभावी रूप से रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा नाम हटाकर समाप्त कर दिया गया है:

1. देवघर इंफ्रा लिमिटेड
2. देवघर मेगा पावर लिमिटेड
3. झारखंड इन्फ्रापावर लिमिटेड

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित सहायक कंपनियाँ पीएफसी की महत्वपर्ण सहायक कंपनी नहीं थीं तथा इन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.11.2025 को कंपनी के समापन/ नाम हटाना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात, कंपनी के समापन/ नाम हटाने हेतु आवश्यक दस्तावेज कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन्हें उपर्युक्त तिथि को एमसीए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

आपके सूचनार्थ एवं प्रसार हेतु।

धन्यवाद।

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com